

52

7



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]
No. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1981/आषाढ़, 13, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASHADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II — Section 3 — Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)
and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून 1981

सां० कां० नि० 611:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व पद) भर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व पद) भर्ती नियम, 1975 में नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“4. क. चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा;

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमादेष्टा, होमगार्ड, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी अधि को घटा कर दो वर्ष कर सकेगा।”

[फा० सं०-ए-12018(1)/75 प्रशा० II (वि० का०.)]
एच. जी. मंडल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1981

G.S.R 611.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group, D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975 for rule 4A, the following rule shall be substituted, namely :—

"4A Liability of persons appointed as Peons to undergo training: as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a Peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years;

Provided that the Commandant General Home Guards, may having regard to the Performance of and standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing."

[F. No. A-12018(1)/75-Adm.II(LA)]

H. G. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

सं. का. नि. 612.—पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केवल 59,700/- रुपये (उनसठ हजार सात सौ रुपये) की प्रत्यक्ष कीमत के पश्चिम बंगाल ऋण की 53/4 प्रतिशत को जो मूसा बोर्ड के ज्यूइया पूर्व विन्यास विधि की ओर से भारत के कोषाध्यक्ष के पास है, पंचवर्षीय डाकखाना सावधि संचित योजना उनमें उसकी विक्री आय के पुनः निवेश के लिए समय से पहले विक्री के लिए निदेश करती है।

[सं. 1/1/81-न्यायिक]

के. एल. अरोड़ा, उप सचिव

New Delhi the 18th June, 1981

G.S.R. 612.—In pursuance of section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs premature sale of 5 3/4 per cent West Bengal Loan, 1983 of the face value of Rs. 59,700 (Rupees Fifty nine thousand and seven hundred) only held by the Treasurer of Charitable Endowments for India on behalf of the Jewish Charitable Endowment Fund of the Musz Board for reinvestment of the sale proceeds thereof in Five-Year Post Office Time Deposit Scheme.

[No. 1/1/81—Jud.]

K. L. ARORA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 16 जून 1981

सं. का. नि. 613.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 11 के उपनियम (1) में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अपनी सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए उस दशा में एक मास के वेतन के आधे की दर से उपदान पाने का पात्र होगा

जब कि समाप्ति के समय उसने कम से कम पांच वर्ष निरंतर सेवा कर ली हो",

(ख) खंड (ख) में, "निरंतर" और "सेवा" के बीच में आने वाले "स्वायत्त" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निरंतर सेवा" से कुछ सेवा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत स्वायत्त और अस्थायी सेवा के अल्पकाल भी हैं।"

[संख्या 12011/2/79-स्था.सं.0]

बी. एस. निम, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 16th June, 1981

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 in sub-rule (1)(a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) one half of a month's pay for each completed year of his service if he had completed not less than five years of continuous service at the time of termination."

(b) in clause (b) the word quasi-permanent occurring between the words 'continuous' and 'service' shall be omitted;

(c) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) For the purpose of this rule "continuous service" means the total service including spells of quasi-permanent and temporary service".

[No. 12011/2/79-Estt.(c)]

B. S. NIM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 जून 1981

सं. का. नि. 614.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1981 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में "हरियाणा" के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि, अर्थात् :— "संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त-1" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

"अवर आबकारी तथा कराधान आयुक्त-1"

[संख्या 11031/13/80-अ० भा० से० (II)-क]

New Delhi, the 19th June 1981

G.S.R. 614.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Haryana hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) Those regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Tenth Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 under the heading 'Haryana' for the existing entries, namely :

"Joint Excise & Taxation Commissioner-1"

The following shall be substituted, namely :—

"Additional Excise and Taxation Commissioner-1"

[No. 11031/13/80-AIS(II)-A]

सा० का० नि० 615.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1981 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनुसूची-III-ख में "हरियाणा" के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि "संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

"अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त"

[संख्या 11031/13/80-अ० भा० से० (II)-ख]

जी० बी० घोषाल, डैस्क अधिकारी

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) In 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table, against 'Haryana' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, for the existing entries namely :—

"Joint Excise and Taxation Commissioner"

the following shall be substituted, namely :—

"Additional Excise & Taxation Commissioner"

[No. 11031/13/80-AIS(II)-B]

G. D. GHOSHAL, Desk Officer

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1981

शुद्धि पत्र

सा० का० नि० 616.—भारत के राजपत्र के 14 फरवरी 1981 के भाग II, खंड 3 उपखंड (1) के पृष्ठ 318 पर छपे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 5 जनवरी 1981 के सा० का० नि० 158 के कालम 12 में

"1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-सदस्य" के स्थान पर

"1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष", पढ़ें।

[ए० 12018/1/77-अ० II]
जी० बी० भल्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the 11th June, 1981
CORRIGENDUM

G.S.R. 616.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No G.S.R. 158 dated the 5th January, 1981, published at pages 313 to 326 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 14th February, 1981, at page 318, in column 12,

for

"1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Member"

read

"1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman".

[A-12018/1/77-Admn. II]

G. B. BHALLA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत बोर्ड)

नयी दिल्ली, 5 जून, 1981

सा० का० नि० 617.—श्री ईश कुमार, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण भारतीय विद्युत् अधिनियम 1910 (1910 का 9) के खंड 36क के उपखंड (4) के अधीन केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड द्वारा उप-नियम

2 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हुए श्री एस० डब्ल्यू० तिवारी के स्थान पर आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

[सं० सी० एम०-305/35/81]
एस० एन० राय, अध्यक्ष

MINISTRY OF ENERGY

(Central Electricity Board)

New Delhi, the 5th June, 1981

G.S.R. 617.—In exercise of the powers conferred by bye-law 2(1) made by the Central Electricity Board under sub-section (4) of Section 36A of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), Shri Ish Kumar, Director, Central Electricity Authority, is hereby appointed as Secretary of the Board vice Sh. S. W. Tewari till further orders.

[No. CM-305/35/81]
S. N. ROY, Chairman,
Central Electricity Board.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 23 जून, 1981

सं० का० नि० 618.—केन्द्रीय सरकार, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम, अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 52) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम, विनियम, 1981 है।

(ii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 52) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से संस्थान के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ग) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है।

(घ) "सभापति" से संस्थान का सभापति अभिप्रेत है।

(ङ) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है।

(च) "नियम" से अधिनियम की धारा 31 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत है।

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है।

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(झ) "स्थायी समिति या तदर्थ समिति" से धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित की गई स्थायी और तदर्थ समिति अभिप्रेत है।

3. संस्थान के अधिवेशनों का समय और स्थान:—संस्थान अपने अधिवेशन सामान्यतः त्रिवेंद्रम में उतनी बार करेगा जो सभापति अधिष्ठाित करे परन्तु संस्थान का वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

4. संस्थान का अधिवेशन बुलाने की शक्ति:—सभापति किसी भी समग्र संस्थान का अधिवेशन बुला सकेगा और वह ऐसा करेगा जब बुलाए जाने

के लिए प्रस्तावित अधिवेशन का विषय निर्दिष्ट करते हुए कम से कम सात सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए अध्यापिका उसे प्रस्तुत की जाती है।

5. संस्थान के अधिवेशनों के लिए सूचना:—(i) संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो तत्समय भारत में है, कम से कम चौदह दिन पूर्व दी जाएगी।

(ii) अधिवेशन की सूचना किसी सदस्य को या तो व्यक्तिगत रूप से या ऐसे सदस्य को संबोधित डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा तामील की जाएगी। यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूचना उचित रूप से परिदत्त की गई है।

(iii) ऊपर उपविनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, सभापति लघुतर सूचना पर अधिवेशन बुला सकेगा यदि वह समझता है, कि किसी अत्यावश्यक मामले पर विचार विमर्श किया जाना है।

6. गणपूर्ति:—(i) संस्थान के किसी अधिवेशन के किसी कारवार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम दस सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

(ii) यदि अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आठ घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन उसी स्थान पर किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और ऐसे स्थगित अधिवेशन की सूचना, ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, उसी दिन डाक द्वारा या तार द्वारा या विशेष संदेश वाहक द्वारा जैसा भी मामले में उपेक्षित हो, दी जाएगी। परन्तु इस प्रकार स्थगित अधिवेशन उस तारीख से, जिस तारीख को उसे किया जाना मूल रूप से प्रस्तावित था, चौदह दिन के भीतर किया जाएगा।

(iii) यदि किसी स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आठ घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी।

7. संस्थान के अधिवेशन का सभापतित्व:—(i) सभापति संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा। (ii) यदि किसी अधिवेशन में सभापति उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी का, उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए चयन करेंगे।

8. कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारवार का संव्यवहार:—(i) कोई कारोबार जिसका संव्यवहार संस्थान के लिए आवश्यक है, यदि सभापति ऐसा निदेश देता है तो भारत में तत्समय उपस्थित सभी सदस्यों के बीच, उनके सामान्य पते पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उस प्रकार प्रभावी और आवद्ध कर होगा मानों कि वह संकल्प संस्थान के अधिवेशन में पास किया गया था परन्तु यह तब जब कि कम से कम दस सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार अभिलिखित किए हैं।

(ii) जब कोई कारवार इस प्रकार परिचालन द्वारा सदस्यों को निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी, ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को ऐसे कारवार की सूचना जारी की जाती है। यदि किसी सदस्य से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प का समर्थन किया है।

(iii) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन के परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किए जाएंगे।

9. मतदान:—संस्थान के अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए सभी मामले उपस्थित और उन पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में सभापति या

सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का उस मत के जिस मत का वह सदस्य के रूप में हकदार है अतिरिक्त एक निर्णायक मत भी होगा।

10. कारवार का अभिलेख रखना :—(i) संस्थान द्वारा संव्यवहृत सभी कारवार का अभिलेख रखा जाएगा।

(ii) संस्थान के सभी विनिश्चय, यथासम्भव, संकल्पों के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चयों की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि संस्थान द्वारा ऐसे विनिश्चय किए गए थे।

(iii) संस्थान की कार्यवाहियों उसके सदस्यों के बीच अधिवेशन की तारीख से चार सप्ताह के भीतर परिचालित की जाएंगी और यदि नियत अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणी प्राप्त होती है तो उसे सभापति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ठीक ढंग से सम्मिलित किया जाएगा और अन्तिम कार्यवाहियों के रूप में पुनः जारी किया जाएगा।

11. शासी निकाय का गठन :—संस्थान के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (i) संस्थान का सभापति, अध्यक्ष।
- (ii) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
- (iii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार ;
- (iv) संस्थान का निदेशक ;
- (v) संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
- (vi) केरल राज्य सरकार के योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
- (vii) संस्थान के दो सदस्य, जिनका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए ; और
- (viii) संस्थान का एक आचार्य, जो सभापति द्वारा प्रतिवर्ष नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

12. शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य :—(i) शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इन विनियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है।

(ii) शासी निकाय अपनी कोई शक्ति अध्यक्ष/निदेशक को, जैसा भी समीचीन हो, प्रदत्त या प्रत्यायोजित कर सकेगा।

13. शासी निकाय के अधिवेशन :—शासी निकाय सामान्यतः त्रिवेन्द्रम में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे, अपने अधिवेशन करेगा परन्तु अध्यक्ष अधिवेशन बुलाएगा यदि अधिवेशन में विचार विमर्श के लिए प्रस्तावित विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अध्यक्षता उसे प्रस्तुत की जाए और वह और कि शासी निकाय तीन मास में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन करेगा।

14. शासी निकाय के अधिवेशन की सूचना :—(i) शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो तत्समय भारत में है, कम से कम चौदह दिन पूर्व दी जाएगी।

(ii) अधिवेशन की सूचना किसी सदस्य को, या जो व्यक्तिगत रूप से या किसी सदस्य को संबोधित डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा तामील की जाएगी। यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूचना उचित रूप से परिदत्त की गई है।

(iii) उपखण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी, शासी निकाय का कोई अधिवेशन, जिसमें कोई ऐसा मामला, जिसे अध्यक्ष अत्यावश्यक समझता है, लिया जाता है, लघुतर सूचना पर भी बुलाया जा सकता है।

15. गणपूर्ति :—(i) शासी निकाय के किसी अधिवेशन में किसी कारवार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

(ii) यदि अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन उसी स्थान पर किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और ऐसे स्थगित अधिवेशन की सूचना, ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, उसी दिन डाक द्वारा, या तार द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा, जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, दी जाएगी। परन्तु इस प्रकार स्थगित अधिवेशन उस तारीख से, जिस तारीख को उसे किया जाना मूल रूप से प्रस्तावित था, चौदह दिन के भीतर किया जाएगा।

(iii) यदि किसी स्थगित अधिवेशन में भी अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी।

16. शासी निकाय के अधिवेशनों का सभापतित्व :—(i) अध्यक्ष शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा।

(ii) यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी का, उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए चयन करेंगे।

17. कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कारवार का संव्यवहार :—(i) कोई कारवार, जिसका संव्यवहार शासी निकाय के लिए आवश्यक है, यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो भारत में तत्समय उपस्थित सभी सदस्यों के बीच, उनके सामान्य पते पर रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आवद्धकर होगा मानों कि वह संकल्प शासी निकाय के अधिवेशन में पास किया गया था परन्तु यह तब जबकि कम से कम पांच सदस्यों ने संकल्प पर अपने अनुमोदन अभिलिखित किए हैं।

(ii) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन के परिणाम शासी निकाय के समक्ष उसके पश्चातवर्ती अधिवेशन में रखे जाएंगे।

18. मतदान :—शासी निकाय के अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए सभी मामले उपस्थित और उन पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का, उस मत के जिस मत का वह सदस्य के रूप में हकदार है, अतिरिक्त एक निर्णायक मत भी होगा।

19. कारवार का अभिलेख रखना :—(i) शासी निकाय द्वारा संव्यवहृत सभी कारवार का अभिलेख रखा जाएगा।

(ii) शासी निकाय के सभी विनिश्चय, यथासम्भव, संकल्पों के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और शासी निकाय की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चयों की प्रविष्टि उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि शासी निकाय द्वारा ऐसे विनिश्चय किए गए थे।

(iii) प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियां, अधिवेशन होने के पश्चात चार सप्ताह के भीतर शासी निकाय के सदस्यों को परिचालित की जाएगी और अगले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, उस अधिवेशन में सत्य रूप से पुष्टि करने के पश्चात हस्ताक्षर की जाएगी।

20. शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों का भरा जाना :—(i) अध्यक्ष की पदावधि सभापति के रूप में उसकी पदावधि तक सहविस्तारी होगी।

(ii) शासी निकाय के सदस्य की पदावधि उस समय तक रहेगी जब तक कि वह संस्थान का सदस्य बना रहता है।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियम 11 के उपविनियम (vii) के अधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह संस्थान का सदस्य नहीं रह जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त हो जाएगी।

(iv) प्रधान द्वारा विनियम 11 के उपविनियम (viii) के अधीन नाम निर्दिष्ट आचार्य की पदावधि, जैसे ही वह संस्थान का आचार्य नहीं रह जाता है या प्रधान द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त हो जाएगी।

21. स्थायी और तदर्थ समितियाँ:—(i) स्थायी और तदर्थ समितियाँ वही होंगी जो इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(ii) कार्यकाल

स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से पांच वर्ष होगा और तदर्थ समिति जैसे ही वह निर्दिष्ट कृत्य, जिसके लिए उक्त समिति नियुक्त की गई थी, पूरा हो जाता है समाप्त हो जाएगी परन्तु समाप्ति नाम निर्देशन द्वारा किसी भी समय किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति में होने वाली किसी रिक्ति को भर सकता है।

22. संस्थान, शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के प्रधान और सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते:—संस्थान का सभापति और उसके सदस्य, शासी निकाय का अध्यक्ष और उसके सदस्य और विभिन्न स्थायी और तदर्थ समितियों के सदस्यों को, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आतिथ्य प्रभार उस पर संदेय किए जाएंगे जो अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्यों को लागू होंगे जब तक कि संस्थान द्वारा उन्हें परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।

23. प्रधान के लिए सुविधा:—प्रधान को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सचिवालय सहायता, जो भी आवश्यक हो और सुविधाएं जैसे कि आधुनिक, टेलीफोन, डाक-महसूल और लेखन सामग्री संस्थान के खर्च पर दी जाएगी।

24. निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य:—(i) निदेशक संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अनुसूची 3 में निर्दिष्ट हैं।

(ii) निदेशक संस्थान के सम्पूर्ण प्रशासन का भार साधक होगा और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य आबंटित करेगा तथा ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यपालक नियंत्रण का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हैं।

(iii) संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए, निदेशक को, अधिनियम नियमों या इन विनियमों के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति को संस्थान के किसी अधिकारी को ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो शासी निकाय अधिरोपित करे, प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।

25. पुरस्कार, छात्रवृत्तियाँ आदि देने की शक्ति:—संस्थान ऐसे पुरस्कार, स्मृति-चिन्ह, वृत्तिकाएँ और छात्रवृत्तियाँ दे सकेगा जो वह समय-समय पर विनिश्चित करे।

26. अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश:—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

27. परीक्षाओं का संचालन:—संस्थान की प्रवेश और वृत्तिक परीक्षाओं के संचालन के लिए निदेशक द्वारा उतनी संख्या में पर्यवेक्षक, अन्वेषक और अन्य कर्मचारिवृन्द नियोजित किए जाएंगे जितने आवश्यक हैं

और उन्हें शासी निकाय द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों पर पारिश्रमिक का संदाय किया जाएगा।

28. संस्थान में विभिन्न पदों के लिए अर्हताएं:—संस्थान के अधीन पदों के लिए आयु, अनुभव, अर्हताएं, वेतनमान और अन्य बातें, शासी निकाय द्वारा, केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में समरूप या तुल्य पदों के लिए विद्यमान अर्हता और अनुभव को दृष्टि में रखते हुए विहित की जाएगी।

29. संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियाँ:—संस्थान का निदेशक, संस्थान के निमित्त और उसकी ओर से वाद या आवेदन फाइल करने या अन्य सिविल या दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ करने उसे अग्रसर करने और ऐसे प्रयोजनों के वादपत्र, अर्जी या अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो, हस्ताक्षर करने निष्पादित करने या अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम होगा।

30. वर्तमान सेवा शर्त का प्रवृत्त बना रहना:—(i) अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी फार एड-वान्स स्टडीज इन स्पेशैलिटीज, त्रिवेन्द्रम के अधिकारियों और कर्मचारियों को यथा लागू, सेवा अवधि, पारिश्रमिक, सेवा के निबन्धन और शर्तें, जिनके अन्तर्गत छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य बातें भी हैं, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि अधिनियम के अनुसार संशोधित, परिवर्तित या निरसित नहीं कर दी जाती हैं।

(ii) अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी फार एडवान्स स्टडीज इन स्पेशैलिटीज, त्रिवेन्द्रम के निदेशक द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश, प्रशासनिक आदेश या निदेश, जहाँ तक वे अधिनियम से असंगत नहीं हैं या जब तक वे अधिनियम के अनुसार निरसित, संशोधित या परिवर्तित नहीं कर दिए जाते हैं, प्रवृत्त बने रहेंगे।

अनुसूची 1

(कृपया विनियम सं० 12 देखिए)

शासी निकाय

1. शासी निकाय संस्थान के कारवार और कार्यकलाप करेगा और उनका प्रबन्ध करेगा।

2. शासी निकाय को सभी ऐसी शक्तियाँ होंगी और वह सभी ऐसे कृत्य करेगा जो संस्थान के उद्देश्यों की समुचित प्राप्ति और उन्हें अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं।

3. पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(i) संस्थान के भी कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनकी शक्तियों तथा कर्तव्य परिनिश्चित करना ;

(ii) सभी प्रवर्गों के पदों को वर्गीकृत करना और सभी पदों के लिए अर्हताएं अधिकथित करना ;

(iii) संस्थान के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें, जिनके अन्तर्गत भर्ती और नियुक्ति की पद्धतियाँ भी हैं, अधिकथित करना ;

(iv) कर्मचारियों की सेवा—ज्येष्ठता के सिद्धान्त अधिकथित करना।

(v) किसी संयुक्त परियोजना या अन्य प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संस्था या विश्वविद्यालय में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए कार्य करने के लिए संस्थान के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति का अनुमोदन करना ;

- (vi) सभी कर्मचारियों की उपलब्धियां, सेवा शर्तों जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबन्ध भी है श्री चिन्ता तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, नियम 1981 के नियम 7 के अधीन रहते हुए सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्यवाहियों की रीति विनिश्चित करना ;
- (vii) संस्थान के विभिन्न अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना ;
- (viii) संस्थान में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनके नामांकन ;
- (ix) व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या किसी अन्य परीक्षण-पद्धति के आधार पर संस्थान द्वारा डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देने के लिए, और उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टियां प्रदान करने के लिए तथा अच्छा और पर्याप्त कारण होने पर ऐसी कोई डिप्लोमा, प्रमाण पत्र उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टियां वापस लेने के लिए प्रक्रिया और शर्तें अधिकथित करना ;
- (x) संस्थान द्वारा सम्मानिक उपाधियों या सम्मानिक अधिसदस्यता या अन्य विशिष्टियां प्रदान करने की सिफारिश करना ;
- (xi) संस्थान का अनुमोदन करना और अध्यक्षतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति, पदक और पुरस्कार देना ;
- (xii) विश्वविद्यालयों या संस्थाओं से ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना, जो संस्थान अवधारित करे परन्तु किसी विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग की बाबत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा ;
- (xiii) वित्त स्थायी समिति या अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित किसी अन्य समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना या उनमें समुचित परिवर्तन करना ;
- (xiv) तदर्थ समितियों की, जब और जैसे ही आवश्यक हो, नियुक्ति करना ;
- (xv) निदेशक को समय समय पर ऐसे कृत्य और कर्तव्य सौंपना और उसे ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो वह आवश्यक समझे ;
- (xvi) सभी ऐसे कार्यों का अनुपालन करना और सभी ऐसी बातें करना जो संस्थान की सम्पत्ति के उचित प्रबंध के लिये आवश्यक हों ;
- (xvii) भवनों की सन्निर्माण और अनुरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनमें परिवर्तन और उनकी अभिवृद्धि भी है, अनुमोदित करना ;
- (xviii) संस्थान द्वारा दान-प्रादान या वसोयत स्वीकार करने के लिये निबन्धन और शर्तें अधिकथित करना ;
- (xix) संस्थान द्वारा स्वामित्व प्राप्त करने के लिये निबन्धन और शर्तें अधिकथित करना ;
- (xx) संस्थान के निमित्त और उसकी ओर से करार करना ;
- (xxi) संस्थान की ओर से ऋण चलाना और सभी विधिक कार्य-वाहियों में प्रतिरक्षा करना ;
- (xxii) तदर्थ आधार पर व्यक्तियों को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त करना जो वह संस्थान द्वारा प्रारम्भ किये गये अध्ययनों, अन्वेषणों अनुसंधान, शिक्षण और अन्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिये ठीक समझे ;
- (xxiii) अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथा विद्यमान श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी सेवा नियम के अनुसार, जब तक कि उन्हें संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, संस्थान के कर्मचारियों पर नियंत्रण और अनुशासन का प्रयोग करना ;
- (xxiv) यदि वह ठीक समझना है तो भारत में और विदेश में होने वाले अधिवेशनों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना ;
- (xxv) अध्ययन, कृतियां, पुस्तकें नियत कालिक पत्रिका, रिपोर्टें और अन्य साहित्य प्रकाशित करना और या उनके प्रकाशन का वित्त पोषण करना और उनका विक्रय करना या उन्हें विक्रय के लिये व्यवस्था करना ;
- (xxvi) निवेश-बाह्य अध्ययनों और विस्तारी सेवाओं को संगठित करना और चलाना ;
- (xxvii) अधिनियम, नियमों और विनियमों और वजट उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा संबंधी और अन्य पदों का सृजन करना ;
- (xxviii) अध्यागत प्राचार्यत्व और सम्मानिक प्राचार्यत्व संस्थित करना और उन पर नियुक्तियों करना ;
- (xxix) कोई सम्पत्ति, जंगम और स्थावर दोनों, जो संस्थान की है या उसमें निहित है, किसी रीति में, जो अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के उन्नयन के लिये आवश्यक समझी जाती है, अर्जित करना, धारण करना, व्ययन करना और उसकी बाबत व्यवहार करना ;
- (xxx) संस्थान के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, संस्थान की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना ;
- (xxxi) ऐसी फीस और अन्य प्रभार-नियत करना, मांग करना और प्राप्त करना, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ;
- (xxxii) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और साधारण कल्याण के उन्नयन के लिये व्यवस्था करना ;
- (xxxiii) संस्थान के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसे प्रवृत्त करना और इस निमित्त ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें ;
- (xxxiv) सभी ऐसे अन्य कार्य और बातें करना जो अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

अनुसूची 2

स्थायी समिति-गठन और कृत्य

(रूपया नियम 21 देखिए)

क. स्थायी वित्त समिति

संरचना :

1. निदेशक (अध्यक्ष) ;
2. केन्द्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि (सदस्य) ;
3. केन्द्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
4. संस्थान का एक सदस्य जो शासी निकाय द्वारा नाम निदिष्ट किया जायेगा ;

5. संस्थान का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (संयोजक पदेन) स्थायी वित्त समिति निम्नलिखित मामलों पर विचार करने और उन पर शासी निकाय की सिफारिश करने के लिये प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ;

कृत्य :

- (1) संस्थान के बजट प्राक्कलन तैयार करना, और व्यय के लेखाओं का पुनरीक्षण करना और शासी निकाय को सिफारिश करना ;
- (2) बड़े निर्माण कार्य पर नये व्यय के लिये प्रस्ताव पर और ऋण के लिये विचार करना और शासी निकाय को सिफारिश करना ;
- (3) पुनर्विनियोग दिवरणों और संपरीक्षा टिप्पणों की समीक्षा करना और उन पर शासी निकाय को सिफारिश करना ;
- (4) संस्थान के वित्त का पुनरीक्षण करना और जहाँ भी आवश्यक हो, समन्वयी लेखा परीक्षा किये जाने का सुझाव देना ;
- (5) किसी अन्य वित्तीय प्रश्न पर, जिसका संस्थान के कृत्यों पर प्रभाव पड़ता है, शासी निकाय को सलाह देना और उसे सिफारिश करना ;
- (6) भवन, सन्निर्माण और ऋण की वास्तु निविदायें आमंत्रित करने और उन्हें स्वीकार करने से सम्बन्धित सभी मामले ।

ख. स्थायी शैक्षणिक समिति

संरचना : शैक्षणिक समिति में निम्नलिखित होंगे :—

1. निदेशक. (अध्यक्ष पदेन)
 2. प्रधान, जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड ;
 3. संस्थान के आचार्यों और वैज्ञानिकों से तीन व्यक्ति जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ; और
- ऐसे अन्य व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, जिन्हें शासी निकाय द्वारा समय-समय पर उनके विशिष्ट ज्ञान के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाये परन्तु समिति की कुल सदस्यता दस से अधिक नहीं होगी ।

कृत्य : निम्नलिखित मामलों पर विचार करने और उनपर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये शैक्षणिक समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी :

- (1) संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर और शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान के मूल्यांकन की पद्धतियों और शैक्षणिक मानकों में सुधार का साधारण पर्यवेक्षण ;
- (2) स्वप्रेरणा पर या शासी निकाय द्वारा निर्देश किये जाने पर साधारण शैक्षणिक हित के मामले ;
- (3) संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण की योजना और उनके लिये कार्यक्रम बनाना ;
- (4) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, प्रश्नपत्र बनाने वालों और परीक्षक पैनल के रूप में पूर्णरूप से अहित व्यक्तियों की नियुक्ति ;
- (5) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, अध्ययन, प्रशिक्षण और परीक्षा के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन ;
- (6) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, स्नातकोत्तर परीक्षाओं के संचालन का पर्यवेक्षण ;
- (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के चयन के लिये मानक और प्रक्रिया बनाना ;
- (8) परीक्षा के परिणाम पर विचार करना और अभ्यर्थियों को उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शिक्षा संबंधी विशिष्टियां प्रदान

करने के लिये शासी निकाय को अभ्यर्थियों को सिफारिश करना ।

ग. स्थायी भवन समिति

संरचना : स्थायी भवन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. निदेशक (अध्यक्ष पदेन) ;
2. प्रधान, जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड ;
3. संस्थान का वित्तीय, सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (संयोजक पदेन) ;
4. संस्थान का एक सदस्य जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;
5. एक सिविल इंजीनियर जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ; और
6. एक सदस्य, जो निदेशक द्वारा, जैसे और अब आवश्यक हो, सहयोजित किया जायेगा ।

कृत्य : स्थायी भवन समिति, निम्नलिखित मामलों पर विचार करने और उन पर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये, हर छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी :

- (क) नये भवनों का सन्निर्माण ;
- (ख) भूमि का अर्जन और व्ययन ;
- (ग) संस्थान के भवनों का परिवर्धन या परिवर्तन और उनके अनु-रक्षण या उपयोग से सम्बन्धित कोई अन्य प्रश्न ।

घ. ज्येष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन के लिए स्थायी समिति

संरचना :

1. संस्थान के सदस्य में से सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वैज्ञानिक (अध्यक्ष) ;
2. निदेशक (पदेन) ;
3. संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान (पदेन) ; और
4. केन्द्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का एक नाम निर्देशित ।

कृत्य : ज्येष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन के लिये स्थायी समिति, साक्षात्कार द्वारा या अन्यथा अभ्यर्थियों का चयन करने के प्रयोजन के लिये और ऐसे सभी पदों पर, जिनके वेतनमान का अधिकतम 750 रु० प्रतिमास से अधिक है, नियुक्ति के लिये सिफारिश करने के लिये जितनी बार भी आवश्यक हो, बैठक करेगी, परन्तु ऐसी प्रत्येक बैठक में, संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और संस्थान का एक ज्येष्ठ आचार्य नियुक्ति किया जायेगा ।

ड. कनिष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन के लिए स्थायी समिति की संरचना

संरचना :

1. चिकित्सा अधीक्षक ;
2. संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
3. संस्थान के शैक्षणिक खण्ड का एक प्रतिनिधि जो निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;
4. तीन व्यक्ति जो प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

कृत्य : कनिष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन के लिये स्थायी समिति, साक्षात्कार द्वारा या अन्यथा अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये और ऐसे सभी पदों पर जिनके वेतनमान का अधिकतम 750 रु० प्रतिमास से कम है, नियुक्ति के लिये सिफारिश करने के लिये जितनी भी

वार आवश्यक हो, बैठक करेगी परन्तु संस्थान के जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन की बाबत, जैव, चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान समिति का अध्यक्ष होगा।

च. प्रौद्योगिकी विकास समिति

संरचना :

प्रौद्योगिकी विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (1) निदेशक (अध्यक्ष, पदेन) ;
- (2) संस्थान के जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
- (3) संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड के दो वैज्ञानिक जो सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;
- (4) दो अन्य वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् जो सभापति द्वारा संस्थान के सदस्यों से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ; और
- (5) तीन वैज्ञानिक जो उन विधिगत ज्ञान के कारण, शासी निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

कृप्य : स्थायी प्रौद्योगिकी विकास समिति, निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और उन पर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी ;

- (क) संस्थान की प्रौद्योगिकी नीतियां और जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास से संबंधित योजनायें ;
- (ख) प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण की पद्धतियों का प्रारम्भ ;
- (ग) जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन ;
- (घ) संस्थान के जैव चिकित्सा खण्ड में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुपालन के मानकों में सुधार।

अनुसूची 3

निदेशक की शक्तियां और उसके कृत्य

(रूपया विनियम सं० 24 देखिए)

1. निदेशक संस्थान का शैक्षणिक प्रधान और मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और ऐसी हैशियत से संस्थान के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों और सभी प्रशासनिक मामलों के लिये उत्तरदायी होगा ;
2. निदेशक, संस्थान और शासी निकाय के विनियमों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा ;
3. निदेशक, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा तैयार करायेगा और उन्हें शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा ;
4. निदेशक, सभापति की अनुपस्थिति में, उपाधियों प्रदान करने के लिये किये गये संस्थान के दीक्षान्त समारोहों का सभापतित्व करेगा ;
5. निदेशक, सभापति/अध्यक्ष के अनुमोदन से, संस्थान/शासी निकाय के अधिवेशनों के लिये सूचनायें जारी करेगा और उन्हें संयोजित करेगा और ऐसे अधिवेशनों के लिये कार्यसूची तैयार करायेगा ;
6. निदेशक, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और शासी निकाय के अनुमोदन से संस्थान की ओर से किसी भी बैंक में खाते खोलेगा, वह, शासी निकाय के अनुमोदन से, चेकों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति, संस्थान के अन्य अधिकारियों को, जो समीचीन हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

7. निदेशक को, श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवांस्ड स्टडीज स्पेशैलिटीज, त्रिवेन्द्रम के सेवा नियमों में यथा-उपवर्णित अनुशासनिक नियमों के अनुसार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान थे, संस्थान के कर्मचारियों की बाबत अनुशासनिक मामलों में अनुशासन से संबंधित सभी शक्तियां होंगी और वह उनका तब तक प्रयोग करेगा जब तक कि उन्हें संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है ;

8. अनुशासन से संबंधित और संस्थान के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां निदेशक में निहित होंगी ;

9. (क) उन निर्बन्धनों के, यदि कोई हैं, जिन्हें शासी निकाय द्वारा अधिरोपित किया जाये, अधीन रहते हुए, संस्थान के उन मंजूर पदों पर, जिनके वेतनमान का न्यूनतम 1700 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, नियुक्तियां करना ;

(ख) अस्थायी संकर्मों/कर्मव्यवहारों के लिये, जिनका अधिक से अधिक पारिश्रमिक 1700 रुपये प्रतिमास है, अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिये संविदा पर नियुक्तियां करना और बजट उपबन्धों के अधीन रहते हुए उनके लिये पदों का सृजन करना। ऐसी नियुक्तियां, शासी निकाय को उसके पश्चात्तवर्ती अधिवेशन में रिपोर्ट की जायेगी और वे शासी निकाय के अनुमोदन के अधीन रहते हुए ही बनी रहेंगी ;

10. उन निर्बन्धनों के, यदि कोई हैं, जो शासी निकाय अधिरोपित करे, अधीन रहते हुए, उन पदों पर जिनके वेतनमान का न्यूनतम 1700 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, प्रोन्नति की बाबत सेवा नियमों के अधीन रहते हुए प्रोन्नतियां करना ;

11. इस अनुसूची में किसी घात के होते हुए भी, निदेशक को, श्री चिन्ता तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवांस्ड स्टडीज इन स्पेशैलिटीज, त्रिवेन्द्रम की साधारण सेवा-शर्त या कामिक आचरण नियमों के अधीन उसमें निहित सभी शक्तियां होंगी जब तक कि वे संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं ;

12. बजट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपस्कर रसायन, औषधि और रखरखाव, सभी मामलों में, जहां संविदा की कुल रकम 2,00,000 रु० से अधिक नहीं है, संस्थान की ओर से निविदा मांगना और किसी पक्षकार से संविदा करना ;

13. व्यय की विभिन्न मदों के अधीन बजट उपबंध का संवितरण मंजूर करना ;

14. किसी ऐसे निर्बन्धन के, जो शासी निकाय द्वारा अधिरोपित किया जाये, अधीन रहते हुए एक उप-शीर्ष से दूसरे को निधियों का पुनर्विनियोग मंजूर करना ;

15. ऐसे कर्मचारियों से, जिन्हें प्रतिशत दिलवानी है, प्रतिभूति पत्र स्वीकार करना ;

16. संस्थान की ओर से, जहां भी आवश्यक हो, करार लिप्यादित करना ;

17. संस्थान की ओर से ठेकेदारों के साथ संविदा करना ;

18. मंजूर किये गये छोटे और बड़े संकर्मों की बाबत संविदा करना ;

19. संस्थान के उपयोग के लिये किराये पर लिये गये भवनों की बाबत करार पर हस्ताक्षर करना ;

20. संस्थान के अधिकारियों द्वारा, देश के भीतर, की जाने वाली कर्मव्यवहार पर यात्रायें मंजूर करना ;

21. एक ही समय पर तीन वर्ष तक की अवधि के लिये वृक्षों के उपभोगाधिकार का नीलामी द्वारा विक्रय मंजूर करना ;

(2) The Governing Body may confer or delegate any of its powers to the Chairman/Director as expedient.

13. Time and Place of Meeting of the Governing Body.—The Governing Body shall ordinarily hold its meetings in Trivandrum at such times as the Chairman may, from time to time determine provided that the Chairman shall convene a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than three members specifying the subject-matter proposed to be discussed in the meeting; and provided further that the Governing Body shall meet at least once in three months.

14. Notice for Meeting of Governing Body.—(i) Not less than fourteen clear days notice or every meeting of the Governing Body shall be given to each member who is for the time being in India.

(ii) A notice may be served upon any member either personally or by post under certificate of posting in an envelope addressed to such member, such notice shall be presumed to have been properly delivered.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), a meeting of the Governing Body at which any matter which is considered urgent by the Chairman has to be taken up, may be called at a shorter notice.

15. Quorum.—(i) No business shall be transacted at a meeting of the Governing Body unless at least five members are present.

(ii) If within half an hour of the time appointed for holding the meeting, quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to another day at the same place and notice of such adjourned meeting shall be given to each member who is not present on the same day by post or telegram or special messenger as the case may require. Provided that a meeting so adjourned shall be held within the fourteen days of the date on which it was originally proposed to be held.

(iii) If at any such adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present at the meeting shall form the quorum.

16. Presidency over Meetings of Governing Body.—(i) The Chairman shall preside over every meeting of the Governing Body.

(ii) If the Chairman is not present at any particular meeting, the members present shall choose one from among themselves to chair that meeting.

17. Transaction of business by circulation of papers :—(i) Any business which may be necessary for the Governing Body to transact, may, if the Chairman so directs, be dealt with by circulation of the papers sent under registered cover to all the members for the time being in India at their usual address, and any resolution so circulated shall be so effectual and binding as if the resolution has been passed at a meeting of the Governing Body, provided at least five members have accorded their approval to the resolution.

(ii) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be placed before the Governing Body at its subsequent meeting.

18. Voting.—All matters submitted to a meeting of the Governing Body shall be decided by a majority of the members present and voting thereat, and in case of an equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled to as a member.

19. Recording of business.—(i) A record shall be maintained of all business transacted by the Governing Body.

(ii) All decisions of the Governing Body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the Governing Body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Governing Body.

(iii) The proceedings of every meeting shall be circulated to the members of the Governing Body within four weeks of the meeting and shall be signed by the person presiding at the next meeting after the confirmation of that meeting.

20. Terms of office of members of the Governing Body and filling of vacancies.—(i) The term of office of the Chairman shall be coterminous with his term of office as President.

(ii) The term of office of a member of the Governing Body shall continue as long as he is a member of the Institute.

(iii) The term of office of a member nominated by the Central Government under sub-regulation (vi) of regulation 11 shall cease as soon as he ceases to be a member of the Institute or till he is replaced by the Central Government whichever is earlier.

(iv) The term of office of the Professor nominated by the President under Sub-regulation (viii) of regulation 11 shall cease as soon as he ceases to be a Professor of the Institute or till he is replaced by the President, whichever is earlier.

21. Standing and ad-hoc Committees.—(i) The standing and ad-hoc committees shall be specified in Schedule II of these regulations.

(ii) Terms of office.—The term of office of a standing committee shall be five years from the date of its constitution and an ad-hoc committee shall cease to function as soon as the specific functions for which the said committee is appointed are completed provided that the President may by nomination fill at any time any vacancy that may arise in the composition of a Standing Committee or an ad-hoc committee.

22. Travelling and daily allowance to be paid to the President and members of Institute, Governing Body and Standing and ad-hoc Committees.—The President and Members of the Institute, Chairman and members of Governing Body and Members of various Standing and Ad-hoc Committees, who are not employees of the Institute shall be paid travelling allowance, daily allowance and hospitality charges at rates as applicable to members of the Governing Body of Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society before the commencement of the Act until altered by the Institute.

23. Facility for President.—The President may be provided secretarial assistance as necessary and facilities such as a stenographer, telephone, postage and stationery at the expenses of the Institute for effective discharge of his functions.

24. Powers and duties of Director.—(i) The Director shall be the chief academic and executive officer of the Institute and shall exercise such powers and discharge such functions as are specified in Schedule III.

(ii) The Director shall be in charge of the overall administration of the Institute and shall allocate duties to officers and employees of the Institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.

(iii) For the proper administration of the Institute the Director shall have powers to delegate any of his powers conferred on him under the Act the rules and these regulations to any officer of the Institute subject to such limitations as may be imposed by the Governing Body.

25. Powers to award prizes scholarships etc.—The Institute may award such prizes, souvenirs, stipends and scholarships as may be decided by it from time to time.

26. Admission to courses of studies.—Reservation of seats for candidates belonging for Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other categories of persons shall be made in accordance with the relevant orders issued by the Central Government from time to time.

27. Conduct of Examinations.—(i) Such number of supervisors, investigators and other staff as may be necessary for conducting the entrance and professional examinations of the Institute, may be appointed by the Director and remuneration shall be paid at the rates fixed by the Governing Body from time to time.

28. Qualifications for various posts in the instt.—Age, experience qualifications, scale of pay and other details of posts under the Institute shall be prescribed by the Governing Body keeping in view the qualification and experience as prevalent for similar or comparable posts in Central Government Institutions.

29. Proceedings by or against the Institute.—The Director of the Institute, shall be competent to file suits or applications or commence other proceedings civil or criminal for and on behalf of the Institute and to prosecute the same and for such purposes to sign, execute or attest plaints, petitions, appeals or other documents as may be necessary.

30. Continuance in force of existing conditions of service.—The tenure, remuneration, terms and conditions of service including leave, pension, gratuity, provident fund and other matters as applicable to the officers and employees of Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for Advanced Studies in specialities, Trivandrum immediately before the commencement of the Act, shall continue to be in force until amended, altered or repealed in accordance with the Act.

(ii) The Standing orders, administrative instructions or directions as issued by the Director of Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum before the commencement of the Act, shall, in so far as they are not inconsistent with or until they are repealed, amended or altered in accordance with the Act, continue in force.

SCHEDULE I

(Please see the Regulation No. 12)

GOVERNING BODY

- I. The business and affairs of the Institute shall be carried on and managed by the Governing Body.
- II. The Governing Body shall have all such powers and shall perform all such functions as are necessary for proper achievement or the furtherance of the objects of the Institute.
- III. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Governing Body shall have the following powers namely :—
 - (i) to appoint and define powers and duties of all employees of the Institute;
 - (ii) to classify posts in all categories and to lay down the qualifications for all the posts;
 - (iii) to lay down the terms and conditions of service of the employees of the Institute including methods of recruitment and appointment;
 - (iv) to lay down principles governing seniority of service of employees;
 - (v) to approve the appointment of teachers and of other academic staff of the Institute to work in any other institution or University for a specified period for undertaking a joint project, or for other purposes;
 - (vi) to decide the emoluments, conditions of service of all employees, including provision for pension, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary proceedings subject to Rule 7 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Rules, 1981.
 - (vii) to delegate powers to various officers of the Institute;
 - (viii) the admission of students to the Institute and their enrolment;
 - (ix) to lay down the procedure and conditions for the award by the Institute of diplomas or certificates to, and for conferment of degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and for withdrawal any such diplomas, certificates, degree or other

academic distinctions for good and sufficient cause;

- (x) to recommend conferment of honorary degrees or honorary fellowships or other distinctions by the Institute;
- (xi) approve the institution and award fellowships scholarships, studentships, medals and prizes;
- (xii) to cooperate or collaborate or associate with universities or institutions in such manner and for such purposes as the Institute may determine provided that in respect of collaboration with foreign or international institutions the prior approval of the Central Government shall be necessary;
- (xiii) to consider and accept or make appropriate changes in the recommendations of the Standing Committee on Finance or of any other committee constituted by the Institute under sub-section (5) of section 10 of the Act;
- (xiv) to appoint ad hoc committees as and when considered necessary;
- (xv) to assign from time to time such functions and duties and delegate such powers as it may deem fit to the Director;
- (xvi) to perform all such acts and do all such things as may be necessary for the proper management of the properties of the Institute;
- (xvii) to approve construction and maintenance of buildings including alteration or improvement thereof;
- (xviii) to lay down the terms and conditions for acceptance by the Institute of gifts, donations or bequests;
- (xix) to lay down terms and conditions for receipt of royalties by the Institute;
- (xx) to enter into agreement for and on behalf of the Institute;
- (xxi) to sue and defend all legal proceedings on behalf of the Institute;
- ((xxii) to appoint persons on adhoc basis on such terms and conditions as it may deem fit for conduct of studies, investigations, research, teaching and other academic programmes undertaken by the Institute;
- (xxiii) to exercise control, and discipline over the employees of the Institute in accordance with the Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society Services Rules as existing immediately before the commencement of the Act, until the same has been altered by the Institute;
- (xxiv) to appoint, if it deems fit, delegates to represent the Institute in Conferences in India and abroad;
- (xxv) to publish and or to finance the publication of studies, treatise books, periodicals, reports and other literature and to sell or arrange for the sale of them;
- (xxvi) to organise and to undertake extra mural studies and extension services;
- (xxvii) to create academic and other posts and to make appointments thereto, subject to the act, rules and the regulations and subject to budget provisions;
- (xxviii) to institute visiting Professorships and Honorary Professorships and make appointments thereto;
- (xxix) to acquire, hold dispose of and deal with any property both movable and immovable, belonging to or vested in, the Institute in any manner which is considered necessary for promoting the objects specified in Section 12 of the Act;
- (xxx) to borrow, on the security of the property of the Institute money for the purpose of the Institute subject to the prior approval of the Central Government;
- (xxxI) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed from time to time;
- (xxxII) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

(xxxiii) to regulate and enforce discipline among the students of the Institute and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;

(xxxiv) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects specified in Section 12 of the Act.

SCHEDULE II

STANDING COMMITTEE—COMPOSITION AND FUNCTIONS

(Please see Regulation 21)

A. STANDING FINANCE COMMITTEE

Composition :

1. Director (Chairman) ;
2. Financial Adviser to the department of Science and Technology of the Central Government or his representative (Member);
3. Member of the Institute representing Department of Science and Technology, Central Government;
4. One member of the Institute to be nominated by the Governing Body;
5. Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Institute (Ex-Officio Convener).

FUNCTIONS

The Standing Finance Committee shall meet at least once every three months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon ;

- (1) To prepare budget estimates of the Institute and to review the accounts of expenditure and to make recommendations to the Governing Body ;
- (2) To consider and make recommendations to the Governing Body on the proposals for new expenditure on major works and purchases;
- (3) To scrutinize reappropriation statements and audit notes and make recommendations there on to the Governing Body;
- (4) To review the finance of the Institute and to suggest concurrent audit conducted wherever necessary;
- (5) To give advise and make recommendations to the Governing Body on any other financial question affecting the affairs of the Institute ;
- (6) All matters relating to the invitation and acceptance of tenders in respect of building, construction and purchases :

B. STANDING ACADEMIC COMMITTEE

Composition : The Academic Committee shall consist of the following :

1. Director (Chairman Ex-Officio);
2. Head, Biomedical Technology Wing ;
3. Three persons to be nominated by Governing Body : from among the Professors and Scientists of the Institute; and
Such other persons, not being employees of the Institute, nominated by the Governing Body from time to time for their specialised knowledge provided that the total Membership of the Committee shall not exceed ten.

FUNCTIONS :

The Academic Committee shall meet at least once in three months and consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon :

- (1) General Supervision over the academic policies of the Institute and methods of instruction, teaching, training, evaluation of research and improvement in academic standards;

(2) Matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by the Governing Body ;

(3) Planning and formulation of programmes for teaching research and training in the Institute;

(4) Appointment of eminently qualified persons as question paper setters and Panels of examiners in the subject with which the Institute deals ;

(5) Approval of courses of study, training and examinations in the subjects with which the Institute deals;

(6) Supervision of conduct of post-graduate examinations in the subjects with which the Institute deals;

(7) Formulation of standards and procedures for the selection of students for post-graduate courses;

(8) Consideration of the results of examinations and recommend candidates for award of degrees, diplomas and other academic distinctions to the Governing Body.

C. STANDING BUILDING COMMITTEE.

Composition : The Standing Building Committee shall consist of the following members :

1. Director (Chairman—Ex-Officio);
2. Head, Biomedical Technology Wing ;
3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Institute (Ex-Officio-Convener) ;
4. A member of the Institute to be nominated by the Governing Body ;
5. A Civil Engineer to be nominated by the Governing Body ; and
6. A member to be coopted by the Director as and when necessary.

FUNCTIONS :

The Standing Building Committee shall meet at least once every six months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon :—

- (a) construction of new building;
- (b) acquisition and disposal of land;
- (c) additions or alterations and any other question relating to the maintenance and use of buildings belonging to the Institute.

D. STANDING COMMITTEE FOR SELECTION OF SENIOR STAFF

Composition :

1. A scientist nominated by the President from among the members of the Institute (Chairman);
2. Director (Ex-Officio);
3. Head of the Biomedical Technology Wing of the Institute (Ex-Officio); and
4. A nominee of the Secretary, Department of Science and Technology of the Central Government.

FUNCTIONS :

The Standing Selection Committee on Senior Staff shall meet as often as necessary for the purpose of selecting candidates by interview or otherwise and formulate recommendations for appointment to all posts carrying a pay scale the maximum of which exceeds Rs. 750.00 p.m. provided that in every such meeting an expert from outside the Institute nominated by the President and a Senior Professor of the Institute shall be associated.

E. STANDING COMMITTEE FOR SELECTION OF JUNIOR STAFF.

Composition :

1. The Medical Superintendent;
2. Head of the Biomedical Technology Wing of the Institute;
3. A representative of the Academic Wing of the Institute nominated by the Director; and
4. Three persons to be nominated by the President.

FUNCTIONS :

The Standing Committee for Selection of Junior Staff shall meet as often as necessary for the purpose of selecting staff by interview or otherwise and formulate recommendations for appointments to all posts carrying a pay scale the maximum of which does not exceed Rs. 750.00 p.m.; provided that in respect of selection of junior staff in the Biomedical Technology Wing of the Institute, the Head of the Biomedical Technology Wing shall be chairman of the Committee.

F. THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMMITTEE**Composition :**

The Technology Development Committee shall consist of the following members :

1. Director (Chairman—Ex-Officio);
2. Head, Biomedical Technology Wing of the Institute;
3. Two Scientists of the Biomedical Technology Wing of the Institute to be nominated by the President;
4. Two other Scientists/Technologists to be nominated from among the members of the Institute by the President; and
5. Three scientists to be nominated by the Governing Body to their specialised knowledge.

FUNCTIONS :

The Standing Technology Development Committee shall meet at least once every six months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon :

- (a) Technology Policies of the Institute and plans for research and development in relations to biomedical technology;
- (b) Introduction of methods of technology training;
- (c) Evaluation of research and development programmes relating to biomedical technology; and
- (d) Improvement in standards of scientific and technologic performance at the biomedical wing of the Institute.

SCHEDULE III**POWERS AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR**

(Please see Regulation No. 24)

1. The Director shall be the academic head and chief executive officer of the Institute and shall as such, be responsible for all its academic activities and for all administrative matters;
2. The Director shall be responsible for implementing the decisions of the Institute and the Governing Body;
3. The Director shall cause to be prepared and submit the Annual Report and the Annual Accounts to the Governing Body;
4. In the absence of the President, the Director shall preside at the Convocations of the Institute held for conferring degrees;
5. The Director shall, with the approval of the President/Chairman issue notices for and convene meetings of the Institute/Governing Body and cause to be prepared Agenda for such meetings;
6. Subject to the provisions of the Act, and with the approval of the Governing Body, the Director shall open accounts in any Banks. He may with the approval of the Governing Body, delegate the

powers to sign cheques to other officers of the Institute as expedient.

7. The Director shall have and shall exercise all powers relating to discipline and disciplinary matters in respect of the employees of the Institute in accordance with the disciplinary rules as set out in the service rules of Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum, as they existed before commencement of the Act unless altered by the Institute.
8. Powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of the Institute shall vest in the Director.
9. (a) Subject to restrictions, if any, as may be imposed by the Governing Body to make appointments against sanctioned posts in the Institute, carrying pay scale the minimum of which does not exceed Rs. 1700/- p.m.
(b) To make contract appointments for a period not exceeding one year for temporary works/ assignments on a monthly remuneration of not exceeding Rs. 1700/- per month and to create posts therefore subject to budget provisions. Such appointments shall be reported to the Governing Body at its subsequent meeting and shall continue only subject to the approval of the Governing Body.
10. Subject to restrictions, if any, as may be imposed by the Governing Body to make promotions to posts carrying pay scales the minimum of which does not exceed Rs. 1700/- per mensem subject to the service rules regarding promotions.
11. Notwithstanding anything contained in this Schedule, the Director shall have all the powers vested in him under the General Conditions of Service and Personnel Conduct Rules of the Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for advanced studies in Specialities, Trivandrum, as they existed before commencement of the Act unless altered by the Institute.
12. To invite tenders and to enter into contract with any party on behalf of the Institute, subject to budgetary provision, for the supply of equipment chemicals, drugs and provisions in all cases, and where the total amount of the contract does not exceed Rs. 2,00,000/-.
13. To sanction distribution of budget provision under several items of expenditure.
14. To sanction the reappropriation of funds from one sub-head to another subject to any restriction which may be placed by the Governing Body;
15. To accept security Bonds in the case of employees who have to furnish Security;
16. To execute agreements on behalf of the Institute wherever necessary;
17. To enter into contract with contractors on behalf of the Institute;
18. To enter into contract in respect of sanctioned minor and major works;
19. To sign agreement in respect of buildings taken on rent for the use of the Institute;
20. To sanction journeys on duty by officers of the Institute within the country;
21. To sanction the auction sale of usufructs of trees for a period of upto three years at a time; and
22. To rent building subject to conditions stipulated by the Governing Body.

[No. 17(2)/80-STP I]

V. M. KELKAR, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून 1981

सां. कां. निं. 619.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा वी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी मद्रास में कतिपय अराजपत्रित अनुसचिवीय और अनुसचिवीय समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : 1. इन नियमों का नाम वी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 है।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- उपायोजन : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।
- संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निदिष्ट है।
- भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निदिष्ट है।

5. अनर्हता : कोई व्यक्ति

- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अर्थात् अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहाँ वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियाजतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कार्यालय अधीक्षक	*1 (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित अनुसचिवीय	550-20-650-25-750 रुपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. अपर श्रेणी लिपिक	*3 (तीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित अनुसचिवीय	330-10-380-द० रो० 12-500-द० रो० 15-560 रुपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. स्टोर कीपर	1 (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित अनुसचिवीय	330-10-380-द० रो० 12-500-द० रो० 15-560 रुपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4. स्टैनोग्राफर	7 (सात)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराज-पत्रित अनुसचिवीय	425-15-500-द० रो० 15-560-20-700 रुपये	चयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5. तकनीकी सुपरवाइजर (सात)	7	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अनुसचिवीय	425-15-500 द० रो०-15- 560-20-700 रूपये	अचयन	नहीं	18-25 वर्ष* नोट: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अंजमान और निकोवार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये निश्चित की गयी अंतिम तारीख होगी। *केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय।	बी० एस० सी० उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी जिनके पास लैबोरेटरी टेक्नालाजी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा है अथवा मान्यताप्राप्त जीवाणु-विज्ञान प्रयोगशाला में एक वर्ष काम करने का अनुभव है। नोट: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो कि इन उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
6. वैज्ञानिक सहायक	2* (दो)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अनुसचिवीय	330-10-380- द० रो० 12-500 द० रो० 15-560/-रूपये	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7. सांख्यिकीय सहायक	1* (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अनुसचिवीय	425-15-500- द० रो०-15- 560-20-700 रूपये	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से कम केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट: आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंजमान और निकोवार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये निश्चित की गयी अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य: सांख्यिकी में अथवा गणितशास्त्र में सांख्यिकी सहित मास्टर्स डिग्री अथवा ग्रेजुएट जिसकी किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी कार्यालय में आंकड़े संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो। नोट: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो कि इन उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

*कार्यभार के अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है

1	2	3	4	5	6	7	8
8 तकनीशियन	2* (दो)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	380-12-500- द० रो०-15- 560/-रूपय	अचयन	नहीं	30 वर्ष से कम केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट : आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	एस० एस० एल० सी० अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो : एयर कंडीशनिंग/रेफ्रीजरेशन अथवा मेकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा। अनुभव : फ्रीज ड्रायर, डीप, फ्रीजर रेफ्रीजरेशन और अन्य चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरणों का इस्तेमाल, रख-रखाव और मरम्मत करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। नोट : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो कि इन उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये इन जातियों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. केअर टेकर	1* (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अनुसूचि-वीय	330-10-380- द० रो० -12- 590-द० रो०- 15-560/-रूपय	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय	प्रतिवार्य : 1. मेट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा। 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से सनिटेशन में डिप्लोमा
						नोट : आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	

*कायभार के अनुसार पदों के संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोगा से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति : हेड क्लर्क ग्रेड में पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी जो समान पदों पर कार्य कर रहे हों अथवा 425-700 रुपये के वेतनमान अथवा समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और प्रशासनिक/लिखा संबंधी कार्य का अनुभव रखते हों (साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं)।	1. निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला—अध्यक्ष 2. दो उप-सहायक निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सीनियर सहायक निदेशक, किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार गिंडी मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	अवर श्रेणी लिपिकों को पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	1. निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप-सहायक निदेशक बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार, गिंडी, मद्रास— सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसमें से एक वर्ष का अनुभव स्टोर को चलाने और स्टॉक रजिस्ट्रों को रखने का होना चाहिए।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1. निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप-सहायक निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु—सरकार गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	330-560 रुपये के वेतनमान में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्न-लिखित सदस्य होंगे :— 1. निदेशक, बी० सी० जी० बैंकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप-सहायक निदेशक, बी.सी.जी. बैंकसीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, सरकार गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वैज्ञानिक सहायकों की पदोन्नति द्वारा जो इस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार, गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस पद पर कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने एस० एस० एल० सी० या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. निदेशक, किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार, गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक, (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी मद्रास में काम करने वाले उन भकेतिकों की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—अध्यक्ष 2. दो उप सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक (सीनियर) किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार, गिंडी, मद्रास—सदस्य	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लाग नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्न-लिखित सदस्य होंगे :—	लागू नहीं होता
				1. निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास—ग्रह्यक्ष	
				2. दो उप सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास—सदस्य	
				3. निदेशक, किंग इंस्टी-ट्यूट गिडी, मद्रास तमिलनाडु सरकार—सदस्य	

[सं० 12018/4/78-प्रशा०—II/पी०एच०]
पूणिमा जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th June, 1981

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted Ministerial & non-Ministerial Group 'C' posts in the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

- Short title and commencement :—(1) These rules may be called the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application :—These rules shall apply to the posts specified in Column I of the Schedule annexure to these rules.
- Number of posts, Classification and scale of Pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- Method of Recruitment, age limit and qualifications etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
 - who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Whether benefit of added years admissible under rule 30 of the CCS (Pension) rules 1972)	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Office Superintendent	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Ministerial.	Rs. 550-20-650-25-750	Non-Selection	No	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Upper Division Clerk	*3 (Three)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
3. Store keeper	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
4. Stenographer (Senior)	*1 (one)	-Do-	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
5. Technical Supervisor	*7 (seven)	-Do-	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	No	18-25 years* Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than in Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). *Relaxable upto 35 years in the case of Govt. servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government.	B.Sc. Preference will be given to candidates possessing a recognised diploma in Laboratory Technology of one year's practical experience in bacteriological work in a recognised Bacteriological Laboratory. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
6. Scientific Assistant	*2 (Two)	-Do-	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
7. Statistical Assistant	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not Applicable	No	Below 30 years Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be	Essential : Master's Degree in Statistics or in Mathematics with Statistics or graduate with 3 years experience or handling Statistical material in a recognised Statistical Office. Note : The qualification(s) regarding

*Subject to variation depending on workload.

1	2	3	4	5	6	7	8
						the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep)	experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of SC/ST candidates if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8. Technician	*2 (Two)	General Central Service Group	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	No	Below 30 years Relaxable upto 35 years in the case of Govt. servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Govt. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Passed S.S.L.C. or equivalent. Qualification : Diploma in Air Conditioning/ Refrigeration or Mechanical Engineering. Experience : At least 3 years experience in running and maintaining of Mechanical & Electrical Equipments such as Freeze Dryers, Deep Freezer, Refrigerations and other medical laboratory equipments. Note : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to SC/ST if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
9. Care Taker	1* (One)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not Applicable	No	18 to 25 years Relaxable upto 35 years in the case of Govt. servants. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing	Essential : 1. Matriculation or equivalent. 2. Diploma in Sanitation from a recognised Institution.

*Subject to variation depending on workload.

9	10	11	12	13	14
4. Not Applicable	Two years	By promotion	Promotion from Stenographers in the scale of Rs. 330-560 with 5 years regular service in the B.C.G. vaccine Laboratory, Guindy, Madras.	Group 'C' DPC comprising of : 1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory Guindy, Madras —Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Members 3. Assistant Director (Senior), King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	Not Applicable
5. Not Applicable	Two years	25 per cent by promotion; 75 percent direct recruitment	Promotion from Scientific Assistants with at least 5 years regular service in the Grade.	Group 'C' DPC comprising of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras —Chairman. 2. Two Dy. Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Members 3. Director, King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	Not Applicable
6. Not Applicable	Two years	By promotion	Promotion from Senior Laboratory Assistants with not less than 5 years regular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	Group 'C' DPC comprising of : 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Members 3. Director, King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	Not Applicable
7. Not Applicable	Two years	By direct recruitment	Not Applicable	Group 'C' DPC comprising of : 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Chairman. 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Members 3. Assistant Director (Senior), King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	Not Applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion from Mechanics of the B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras with not less than 5 years regular service in the grade.	Group 'C' DPC comprising of : 1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Chairman. 2. Two Deputy Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Lab. Guindy, Madras—Members 3. Assistant Director (Senior), King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras—Member	Not applicable
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' DPC comprising of : 1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Members 3. Director, King Institute, Government of Tamil Nadu, Guindy, Madras—Member	Not applicable

[No. 12018/4/78-Admn. II/PH]
PURNIMA JAIN, Under Secy

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून 1981

सां० का० नि० 620 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 को अधिकांश करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में कतिपय समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1981 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएं वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी धर्म या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रिक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8

1. औषधि नियंत्रक (भारत)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	2000-125/2-2500 रु०	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	1. आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की रसायन विज्ञान/भौतिक रसायन विज्ञान जब रसायत/भेषजी/भेषजगुण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; (ii) औषधि, मानकीकरण और औषधि मानकों के नियंत्रण से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने का 15 वर्ष का अनुभव या किसी क्यातिप्राप्त समुत्थान में औषधियों के बित्तिर्माण या परीक्षण का 15 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी—1. अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी—2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है, कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
-------------------------	---	--	---------------------	-----	---	------	---

1	2	3	4	5	6	7	8
							वांछनीय :—श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन नियमों के प्रशासन और/या श्रीषधियों के विनिर्माण और परीक्षण और/या श्रीषधियों के आयात और निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं के निपटने का पर्याप्त अनुभव
2.	(i) उप-श्रीषधि नियंत्रक (भारत)-6 (ii) उप-श्रीषधि नियंत्रक (भारत) (नई श्रीषधियाँ)-1	7	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	1500-6-1800 रु०	चयन 50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	नहीं	(क) उप-श्रीषधि नियंत्रक (भारत) के पदों के लिए— आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विषयविद्यालय की रसायन विज्ञान/भौतिक रसायन विज्ञान/जैव रसायन/भेषजगुण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य ; (ii) श्रीषधि मानकीकरण और श्रीषधि मानकों के नियंत्रण से सम्बद्ध समस्याओं से निपटने का 12 वर्ष का अनुभव । या किसी ख्यातिप्राप्त समुस्थान में श्रीषधियों के विनिर्माण या परीक्षण का 12 वर्ष का अनुभव । टिप्पण—1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण—2 अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है, कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । वांछनीय : श्रीषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>नियमों के प्रशासन और/या औषधियों के विनिर्माण और परीक्षण और/या औषधियों के आयात और निर्यात से सम्बन्धित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त अनुभव ।</p> <p>(ख) उप-औषधि नियन्त्रक (भारत) (नई औषधियाँ) के पद के लिए—</p> <p>आवश्यक :</p> <p>(i) (अनुज्ञतिधारी के लिए अर्हताओं से भिन्न) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता/तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताएं धारण करने वाले व्यक्तियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में नियत शर्तें भी पूरी करनी चाहिए।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की भेषज-गुण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य ।</p> <p>(iii) डाक्टरी जांच की, जिसके अन्तर्गत जांचों के प्रोटोकॉल बनाना भी है, योजना और उपयुक्त प्रोफार्मा बनाने का 8 वर्ष का अनुभव ।</p> <p>या</p> <p>डाक्टरी पूर्व आंकड़ों की छानबीन का और "नई औषधियाँ" पर डाक्टरी जानकारी के परीक्षण का आठ वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रशासन का और/या औषधियों के विनिर्माण तथा परीक्षण का पर्याप्त अनुभव और नई औषधियों के अनु-मोदन के लिए प्रक्रिया और/या औषधियों के मानक बनाने का ज्ञान ।</p>

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा के श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

9	10	11	12	13	14
<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हां</p>	<p>2 वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति : ऐसे उप निबंधक (भारत) और उप श्रेणी नियन्त्रक (भारत) (नई श्रेणियां) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" वि० प्रो० सं० में निम्नलिखित होंगे:--</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष</p> <p>(2) सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय--सदस्य</p> <p>(3) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय--सदस्य</p> <p>(4) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक--सदस्य</p> <p>(पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" वि० प्रो० सं० में निम्नलिखित होंगे:--</p> <p>(1) सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय-- अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय--सदस्य</p> <p>(3) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक--सदस्य</p> <p>टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागों में प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग इतना अनुमोदन नहीं करता है तो, प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में किए से होगी।</p>	<p>प्रोन्नति, सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : हां</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति (सहायक श्रेणियों) नियंत्रक (भारत)</p> <p>(1) सहायक श्रेणियों नियंत्रक (भारत)</p> <p>(2) जीब-रसायन विज्ञानी</p> <p>(3) भेदन गुरु विज्ञानी जिसने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	<p>(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" वि० प्रो० सं० में निम्नलिखित होंगे:--</p> <p>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय--सदस्य</p>	<p>प्रोन्नति, सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध के संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया</p>

9

10

11

12

13

14

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक—सदस्य (पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" वि०प्रो०सं० में निम्नलिखित होंगे :—

- (1) सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय—अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय—सदस्य
- (3) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक—सदस्य

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोविसि समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोविसि समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं० ए-12018/5/80—डी एम एल एंड पी एफ ए]

जी० पंचपकेशन, सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd June, 1981

G.S.R. 620.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1973, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of certain Group A posts in the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Drugs Standard Control Organisation Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving : Nothing in these rules affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Drugs Controller (India)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 2000-125/2-2500-	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servant upto 5 years) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	No	Essential : (i) Post-graduate degree in Chemistry/Pharmaceutical Chemistry/Bio-chemistry/Pharmacy/Pharmacology of a recognised University or equivalent (ii) 15 years' experience in dealing with problems connected with drugs standardisation and control of drug standards OR 15 years' experience either in the manufacture or testing of drugs in a concern of repute. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>Adequate experience of administration of the Drugs and Cosmetics Act 1940 and the Rules made thereunder and/or of manufacture and testing of drugs and/or dealing with problems connected with import and export of drugs.</p>
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition			Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13			14
<p>Age : No Educational Qualifications : Yes.</p>	<p>2 years</p>	<p>By promotion failing which by direct recruitment</p>	<p>Promotion : Deputy Drugs Controller (India) and Deputy Drugs Controller (India) (New Drugs) with five years regular service in the grade.</p>	<p>1. Group 'A' DPC (for considering promotion) comprising of — (i) Chairman/Member—Union Public Service Commission—Chairman (ii) Secretary, Ministry of Health—Member (iii) Joint Secretary Ministry of Health—Member. (iv) Director General of Health Services—Member</p> <p>2. Group 'A' DPC (for considering confirmation) comprising of— (i) Secretary, Ministry of Health—Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Health—Member (iii) Director General of Health Services—Member.</p> <p>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>			<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making promotion, direct recruitment and amending / relaxing any of the provisions of these rules.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
2. (i) Deputy Drugs Controller (India)—6. (ii) Deputy Drugs Controller (India) (New Drugs)—1.	7	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500- 60-1800.	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years). Note : The crucial date for determin- ing the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	No	(a) For the posts of Deputy Drugs Controller (India). Essential : (i) Post-graduate degree in Chemistry/Pharma- ceutical Chemistry/ Biochemistry/phar- macy/Pharmacolo- gy of a recog- nised University or equivalent. (ii) 12 years' experience in dealing with problems connected with drug standar- disation and control of drug standards. OR 12 years' experience either in the manu- facture or testing of drugs in a concern of repute. Note 1. : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Com- mission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. : The qualifi- cation(s) regarding experience is/are relax- able at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candi- dates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communi- ties possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Adequate experience of administration of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules thereunder and/or of manufacture and testing of drugs and/or dealing with problems connected with Import and-export of drugs.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

(b) For the post of Deputy Drugs Controller (India) (New Drugs).

Essential :

- (i) A recognised medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section 3 of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.
- (ii) Post-graduate degree in Pharmacology of recognised University or equivalent.
- (iii) 8 years' experience in the planning of clinical trials including drawing of protocols of the trials and designing of suitable proforma ;
OR
8 years' experience in the screening of pre-clinical data and examination of clinical information on 'New Drugs'.

Desirable :

Adequate experience of administration of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and/or of manufacture and testing of drugs and knowledge of procedures for approval of New Drugs and/or drawing up of standards of drugs.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

2	3	4	5	6	7	8
						Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
9	10	11	12	13	14	
Age : No Educational Qualifications : Yes.	2 Years	50 percent by promotion failing which by direct recruitment, 50 percent by direct recruitment.	Promotion : (i) Assistant Drugs Controller (India). (ii) Biochemist. (iii) Pharmacologist with 5 years' regular service in the respective grades.	1. Group 'A' DPC (for considering promotion) comprising of— (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Health—Member. (iii) Director General of Health Services—Member. 2. Group 'A' DPC (for considering confirmation comprising of— (i) Secretary, Ministry of Health—Chairman. (ii) Joint Secretary, Ministry of Health—Member. (iii) Director General of Health Services—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion, direct recruitment and amending/relaxing any of the provisions of these rules.	
	1					Note : The proceedings of the OPC relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 1981

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 20th June, 1981

सा० का० नि० 621.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क और ख पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क और ख पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1981 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क और वर्ग ख पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में,—

(क) वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन) के पद से संबंधित क्रम सं० 2 के सामने, कालम 2 के अंतर्गत आई प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“नोट: कार्यभार के अनुसार घट-बढ़ हो सकती है।” ;

(ख) उप महानिदेशक (भूविज्ञान) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने कालम 2 के अंतर्गत आई प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“नोट कार्यभार के अनुसार घट-बढ़ हो सकती है।”

G.S.R. 621.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Group A and Group B posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India, (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1967—

(a) against serial number 2 relating to the post of Senior Deputy Director General (Operations), the following note shall be added below the entry under column 2, namely :—

“Note : Subject to variation depending on work-load.”;

(b) against serial number 5 relating to the post of Deputy Director General (Geology), the following note shall be added below the entry under column 2, namely :—

“Note : Subject to variation depending on work-load.”

[फा० सं० ए-12018/6/81 खान 2]

एच० एल० अली अवर सचिव

[F. No. A-12018/6/81-M. 2]

H. L. ATTRI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1981

सा० का० नि० 622.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन, केन्द्रीय कुक्कट प्रजनन फार्म हैसरघाटा में बड़ई और लोहार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बड़ई और लोहार समूह “ग” पद केन्द्रीय कुक्कट प्रजनन फार्म हैसरघाटा भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद का संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायध्व अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निर्दिष्ट है।

4. निरर्हतायें:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वी विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ, वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों का कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तिगत शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7
बढ़ई और लोहार	*1 एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "म" (अराज-पत्रित) (अलिपिक वर्गीय)	330-8-370-10 400-द०-रो०- 10-480 रु०	लागू नहीं होता	21—35 वर्ष	शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान से बढ़ई के डिप्लोमा के साथ पशु फार्म अधिमान्त कुक्कुट फार्म में कार्य करने का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबंधों की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का पदतिष्ठती/सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पदतियों द्वारा भर्ती किये जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि शिभागीत प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के दूसरे केन्द्रों में कार्य करने वाले ऐसे बढ़ई और लोहारों के स्थानांतरण द्वारा जिन्होंने 260-350 रु० नियमित वेतमान में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना 1. निदेशक—अध्यक्ष 2. फार्म का वरिष्ठतम अधिकारी—सदस्य 3. बाहर से एक राजपत्रित अधिकारी जो अधि-मान्त अनुसूचित जाति का हो। —सदस्य।	लागू नहीं होता	

[सं० 26-4/80 एल० डी-(ii)
एम० एस० खुराना, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Coop.)

New Delhi, the 16th June, 1981

G.S.R. 622.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter-cum-Smith, Central Poultry Breeding Farm, Hesserghatta under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules, may be called the Carpenter-cum-Smith Group 'C' post Central Poultry Breeding Farm, Hesserghatta Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification : No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Carpenter-cum-Smith	*1 (One) *Subject to vacancies depend on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	Not applicable	21—35 years	Diploma in Carpentry from any Industrial Training Institute with 5 years practical experience in working in any livestock farm preferably in a poultry farm.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.	
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer from the Carpenter-cum-Smith working in various other centres of Central Poultry Breeding Farms who have put in at least 8 years regular service in the grade of Rs. 260-350.	The composition of D.P. C. : 1. Director—Chairman. 2. Senior most officer of the Farm—Member. 3. One outside Gazetted Officer preferably belonging to Scheduled Caste—Member.	Not Applicable	

[No. 26-4/80-L.D. II]
M. S. KHURANA, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 1981

शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 20 जून, 1981
सां. कां. नि० 623.—इस विभाग की 24 अप्रैल, 1981 की इसी संख्या की अधिसूचना में समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना, बम्बई में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों के प्रकाशन की अनुसूची के कालम 4 में वेतनमान "550-25-750-द० रो०-50-900 रु०" के स्थान पर "550-25-750-द० रो०-30-900 रु०" प्रतिस्थापित किया जाये।

[सं० 3-8/78-मात्स्यिकी (प्रशा०)]
एस० गुरिया, अवर सचिव

G.S.R. 623.—In this Department's Notification of even number dated 24th April, 1981 publishing the recruitment rules for the post of Senior Technical Assistant (Statistics) in the Exploratory Fisheries Project, Bombay, in column 4 of the Schedule the pay scale of "Rs. 550-25-750-EB-50-900" may please be substituted by "Rs. 550-25-750-EB-30-900".

[No. 3-8/78-Fy(Adm)]
S. GURIA, Under Secy.

नौयहन और परिवहन मंत्रालय

(सीमा सड़क विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 जून, 1981

सां० कां० नि० 624.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सड़क विकास बोर्ड में समूह 'क' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क विकास बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हतायें :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सी/स०वि०बी० में अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या,	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
1. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	1500-60-1800 100-2000 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
8	9	10	11	12	13		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी, जो निम्नलिखित पंक्ति के पद धारण कर रहे हैं : (क) (1) अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य ; या	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिये किसी अधिकारी का चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक		

8	9	10	11	12	13
			(ii) ऐसा कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है; और		सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
			(ख) जिनके पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य है।		
		(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी, जो निम्नलिखित पंक्ति के पद धारण कर रहे हैं :	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिये किसी अधिकारी का चयन करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
			(क) (i) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य ; या		
			(ii) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ; या		
			(iii) ऐसा सहायक इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है, और		
			(ख) जिसके पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य है।		
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

1	2	3	4	5	6	6(क)	7
3. अधीक्षक पुल/सड़क श्रेणी I विद्युत्/यंत्र श्रेणी I सर्वेक्षक सहायक श्रेणी I	7	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अतिपिकवर्गीय	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सेना इंजीनियरी सेवा/साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल या अन्य इंजीनियरी सेवाओं के अधीक्षक पुल/सड़क श्रेणी I या समतुल्य श्रेणी/सर्वेक्षक सहायक श्रेणी I की श्रेणी से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	लागू नहीं होता	भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

[सं० फा० 1(19)/बी आर डी बी/78]

ए० एस० मूर्ति, उप सचिव,
सीमा सड़क विकास बोर्ड

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**(Border Roads Development Board)**

New Delhi, the 15th June, 1981

G.S.R. 624.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Gp 'A' and Gp 'C' posts in the Border Roads Development Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Border Roads Development Board Gp 'A' and Gp 'C' posts Recruitment Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications.—No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Powers to relax.—Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Casts, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Superintending Engineer (Civil) in Ministry of Shipping and Transport and Executive Engineer (Civil) BRDB

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
1. Superintending Engineer (Civil)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Executive Engineer (Civil)	4	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1100-50-1600	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.-S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10		11		12	13
N.A.	N.A.	By transfer on deputation		Transfer on deputation : Officers under the Central/ State Govts. holding posts of the rank of : (a) (i) Superintending Engineer or equivalent; or (ii) Executive Engineer or equivalent with 5 years' service in the grade; and (b) Possessing degree in Civil		N.A.	The UPSC shall be consulted while selecting an officer for appointment on transfer on deputation and amending/relaxing any of the provision of these rules.

8	9	10	11	12	13
N.A.	N.A.	By transfer on deputation	Engineering of a recognised University or equivalent. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years). Transfer on deputation : Officers under the Central/ State Govts. holding posts of the rank of : (a) (i) Executive Engineer or equivalent; or (ii) Asstt. Executive Engineer with 5 years' service in the grade; or (iii) Asstt. Engineer with 8 years' service in the grade; and (b) Possessing degree in civil engineering of a recognised university or equivalent. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	N.A.	The UPSC shall be consulted while selecting an officer for transfer on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these Rules.

Recruitment rules for the Technical Officers/Staff Employed in B.R.D.B. for Technical Examination of Works

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6a	7
Supdts. B/R Grade I E/M Grade I SA Grade I	7	General Central Service Group C Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-20-650-25-750	N.A.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Period of probation, if any	Method of rectt. by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	whether	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.-S.C. is to be consulted in making rectt.	
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	By transfer on deputation from the grade of Supdts. B/R Grade I or equivalent Grade/S.A. Grade I from Central Public Works Department/MES/GREF or other Engineer Services under Central Government (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable	Consultation with UPSC shall be necessary while amending/any provision of the recruitment rules.		

[No. F.1 (19)/BRDB/78]
A. S. MURTY, Dy. Secy.

(वस्तु-पक्ष)

नई दिल्ली, 22 जून, 1981

सांकांनि० 625.—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 13 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के द्वारा सीमां शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपर समाहर्ता (सीमां शुल्क) तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क, गोआ को मार्मुगाओ पत्तन के न्यासी बोर्ड का न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 165 (ड) दिनांक 31 मार्च, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 4 के सामने उप-समाहर्ता (सीमांशुल्क), मार्मुगाओ प्रविष्टि के स्थान पर अपर समाहर्ता (सीमां शुल्क) तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क, गोआ प्रविष्टि रखी जाए।

[फा०सं० पी डब्ल्यू/पी टी वी—33/81]

फा०सं० पी डब्ल्यू/पी टी वी—10/79]

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd June, 1981

G.S.R. 625:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Additional Collector of Customs and Central Excise, Goa, as a Trustee to represent the Customs Department, on the Board of Trustees of the Port of Mormugao and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No G.S.R. 165(E), dated the 31st March, 1980 namely:—

In the said notification, against Serial Number 4, for the entry "Deputy Collector of Customs, Mormugao", the entry "Additional Collector of Customs and Central Excise, Goa", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-33/81]

[F. No. PW/PTB-33/81]

नई दिल्ली, 23 जून, 1981

सांकांनि० 626.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के साथ पठित धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन न्यास न्यासियों की फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 का निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित करना चाहती है जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (2) में अपेक्षित है, प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की वास्तविकता भी आक्षेप या सहायक किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों की फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन रहन हुए, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तन, कांडला, मोरमुगाओ, पारादीप, तूतीकोरिन और नव मंगलौर के पत्तन न्यास बोर्डों को लागू होंगे।

2. परिभाषा:—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो (क) अधिनियम से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 अधिनियम) प्रेत है।

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. संदेय फीस—बोर्ड का प्रत्येक न्यासी जो अध्यक्ष से और उपाध्यक्ष से भी जहाँ वह नियुक्त किया जाता है, भिन्न है या कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है या बोर्ड का सेवक है, निम्नलिखित फीस का हकदार होगा—

(i) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशनों से उपस्थित होने के लिए पचास रुपए

(ii) किसी समिति के प्रत्येक ऐसे अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए तीस रुपये जो बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशनों के क्रम में या उसकी तैयारी में एक ही दिन में हुए समिति के अधिवेशन से भिन्न है :

परन्तु किसी कैलेंडर मास के दौरान हुए बोर्ड के अधिवेशनों और/या समिति के अधिवेशनों की वास्तविकता किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम कलकत्ता और मुम्बई पत्तनों की दशा में दो सौ रुपए और अन्य पत्तनों की दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण: बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में या के लिए उपस्थित न्यासी इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में अपने नाम का हस्ताक्षर करेगा।

4. यात्रा भत्ते का संदाय (1) ऐसे न्यासियों से भिन्न जो सरकार के या बोर्ड के सेवक हैं, बाहर के ऐसे सभी न्यासी जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं, नियम 3 के अधीन संदेय फीस के अतिरिक्त यात्रा भत्ता उस मापमान पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों की संदेय है।

(2) ऐसे न्यासियों से भिन्न जो सरकार के या बोर्ड के सेवक हैं, बाहर के ऐसे सभी न्यासी जो बोर्ड के या उसकी किसी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं बाहर के ऐसे न्यासी ऐसी फीस के जो नियम 3 के अधीन संदेय है, और यात्रा भत्ते के अतिरिक्त बोर्ड या समिति के अधिवेशन और मुद्द्यालयों तक और वापसी तक फीस की यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के भी ऐसी दर से हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों की लागू है।

टिप्पण (i) दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए, निकटतम संभव भाग द्वारा और बोर्ड या समिति के अधिवेशन के स्थान पर और मुद्द्यालय से यात्रा की अवधि मानी जाएगी।

टिप्पण (ii) इस नियम के प्रयोजन के लिए मुद्द्यालय न्यासियों के प्रसामान्य निवास स्थान होंगे।

5. किसी ऐसे न्यासी को जो सरकार का सेवक या बोर्ड का सेवक है, कतिपय भत्तों का संदाय:—कोई ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक या बोर्ड का सेवक है और जो बोर्ड के या उसकी समितियों में से किसी के किसी अधिवेशन में उपस्थित होता है वह सेवा नियमों के ऐसे उपबन्धों के अनुसार जो उसे लागू हों, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. किसी न्यासी को जो संसद सदस्य है या राज्य के विधान मंडल का सदस्य है, कतिपय भत्तों का संदाय:—नियम 3 और 4 में किसी

वात के होते हुए भी, ऐसा न्यासी जो संसद का या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य है, संसद (निरहंता निर्वाण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न या ऐसे भत्तों से यदि कोई हों, जिन्हें किसी राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता की निरहंता निर्वाण से संबन्धित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, ऐसी निरहंता उपगत किए बिना प्राप्त करता है, भिन्न किसी फीस का हकदार नहीं होगा।

7. निरसन और व्यावृत्ति:—इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से इससे उपायद्ध अनुसूची में वर्णित नियम इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई आदेश या किया गया कोई निवेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन यथास्थिति, की गई, किया गया या दिया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(नियम 7 देखिए)

क्रम संख्या	निरसित नियमों के नाम
1.	महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्ते का संदाय) नियम, 1964
2.	मारमुगाओ पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1964
3.	परादीप पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1967
4.	मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
5.	कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
6.	मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
7.	तूताकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासी को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1979
8.	नव मंगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1980

[पी०/डब्ल्यू० पीजीएल-25/80]

एम० आर० गणेशवाल, अवर सचिव

New Delhi, 23rd June, 1981

G.S.R. 626.—The following draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred on it by sub-section (1) of section 122 read with section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft, before the expiry of the said period, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and Application.—(1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Act, apply to the Port Trust Boards of Calcutta, Bombay, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Kandla, Mormugao, Paradip, Tuticorin and New Mangalore.

2. Definitions.—Unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963);

(b) words and expressions used in these rules have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Fees payable.—Every Trustees of the Board other than the Chairman and also Deputy Chairman, where appointed, or any other Trustee who is a servant of the Government or servant of the Board, shall be entitled to a fee of—

(i) rupees fifty for attendance of each ordinary or special meetings of the Board;

(ii) rupees thirty for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the Committee held on the same day in continuation of or preparatory to an ordinary or special meeting of the Board :

Provided that, the aggregate amount of fees payable to any Trustees in respect of the meetings of the Board and/or the Committees held during any calendar month shall not exceed rupees two hundred in the case of Calcutta and Bombay Ports and rupees one hundred and fifty in the case of other ports.

Note : A Trustee present at or for any meeting of the Board of Committee thereof shall sign his name in a book or register to be kept for the purpose.

4. Payment of Travelling Allowance.—(1) All outstation Trustees other those who are servants of the Government or the servants of the Board, attending any meeting of the Board or of any of its Committee shall in addition to such as is payable under rule 3, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government.

2. All outstation Trustees, other than those who are servants of the Government or the servants of the Board attending any meeting of the Board or of any of its Committee shall, in addition to such fees as is payable under rule 4, a travelling allowance, also be entitled to receive daily allowance at the rate applicable to the highest class of officers of the Central Government for the period of journey performed to and from the place of Board or Committee meeting and Headquarters.

Note I. For the purpose of daily allowance, the period of journey by the shortest possible route and from the place of Board or Committee meeting and the Headquarters, shall be taken as the period of journey.

Note II. The Headquarters for the purpose of this rule shall be the normal place of residence of the Trustee.

5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government Servant or the servant of the Board.—A Trustee who is a servant of the Government or a servant of the Board and who attends any meeting of the Board or of any of its Committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

6. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rule 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualifications) Act, 1958 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification of membership of the State legislature, receive without incurring such disqualification.

7. Repeal & Savings.—On and from the date of publication of these rules the rules mentioned in the Scheduled annexed hereto are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any order made or directions given under the said rules shall be deemed to have been done, taken, made or given as the case may be, under the corresponding provision of these rules.

SCHEDULE
(See rule 7)

Sl. No.	Title of the rules repealed
1	2
1.	Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964.
2.	Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964.

1	2
3.	Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967.
4.	Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
5.	Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
6.	Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
7.	Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979.
8.	Board of Trustees of the Port of New Mangalore (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1980.

[PW]PGL-25[80]
M. R. GATHWAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 1981

सांकांनि० 627.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान, और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1981 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में क्रम संख्या 14 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
1.4. वरिष्ठ कापी-राइटर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित	1500-60-1800 रुपए	लाए नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि। (2) किसी समाचारपत्र/नियत-कालिक पत्रिका के विज्ञापन विभाग या किसी ख्यातिप्राप्त वाणिज्यिक फर्म या सरकार के अधीन ऐसे ही किसी संगठन में पर्यवेक्षी हैतियत में आठ वर्ष का अनुभव और सृजनात्मक लेखन में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण : (1) अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

1 2 3 4 5 6 6A 7

(2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में विधिल की जा सकती है (हैं), जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय :

- (1) प्रचार और पत्रकारिता के कार्य का अनुभव।
- (2) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं।

परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो सर्वज्ञ पद धारण किए हैं ; या (2) जिन्होंने 1100-1600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकृत प्रकार की अर्हताएं और अनुभव हैं। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	(सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति—की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय—सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/विधिल करते समय भी आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।
				टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	

[सं० ए-12026/4/76-स्था०/डी एस (आई)]

एस० के० नायक, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th June, 1981

G.S.R. 627.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (i) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1971, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
14. Senior Copy Writer.	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800.	Not applicable	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.	Essential : (i) M.A. in English from a recognised University. (ii) 8 years experience in a supervisory capacity in advertising department of a newspaper/periodical or a commercial firm of repute or a similar organisations Under Government and possessing 3 years experience in creative writing. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P. S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
							to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Experience of publicity and journalistic work. (ii) Working knowledge of Hindi.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.		
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	2 years	By transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short-term contract) : 1. Officers from the Central/State Govts. Public Undertakings, Semi-Govt. Autonomous or Statutory Organisations. (a) (i) holding posts or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years).	Group 'A' : Departmental Promotion Committee (for considering confirmation in consultation of a direct recruit): 1. Joint Secretary, Ministry of I & B—Chairman 2. Director, D.A.P.V.—Member 3. Director, DPD—Member Ncte : The proceeding of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with Commission is also necessary while amending/relaxing any of the provision of these rules.		

[No. A-12026/4/76-Est/DS(I)]
S. K. NAIK, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 1981

सां.कां.निं० 628 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959* के अन्तर्गत संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1981 कहा जाएगा।

सां.कां.निं० 217 (सी०आई०एस०) दिनांक 16 फरवरी, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचित। बाद में इन नियमों के 80 संशोधन अधिसूचित किए गए थे और इसलिए फुट नोट में सभी संशोधनों के राजपत्र संदर्भ शामिल करना दुर्बल है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में—

(क) नियम 6 में, खंड (घ) के उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“(2) भर्ती

इस ग्रेड में सभी रिक्तियां ग्रेड-2 में ड्यूटी पदों को धारण करने वाले अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रवर्तता योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी” ;

(ख) अनुसूची 8 में, खंड 3 को लुप्त कर दिया जायेगा।

[फाइल सं० ए-42012/5/78-सी०आई०एस०-संशोधन सं०-81]

New Delhi, the 8th June, 1981

G.S.R. 628.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Information Service (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Information Service Rules, 1959;—

(a) in rule 6, for sub-clause (ii) of clause (D), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(ii) Recruitment

All the vacancies in this grade shall be filled by promotion on the basis of seniority-cum-fitness on the recommendations of the Departmental Promotion Committee from amongst officers holding duty posts in Grade II”;

(b) in Schedule VIII, clause 3 shall be omitted.

[F. No. A-42012/5/78-CIS Amendment No. 81]

*Notified under G.S.R. 217 (CIS) dated the 16th February, 1959. Subsequently eighty amendments to these rules were notified and, as such, it is unwieldy to include the Gazette reference of all the amendments in the foot-note.

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

सं०का०नि० 629.—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेस परिषद् नियम, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 1981 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रेस परिषद् नियम, 1979 में,

(i) नियम 4 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) में “75 रु० प्रति-दिव की दर से दैनिक भत्ता” शब्दों और शब्दों के स्थान पर “नब्बे रुपए प्रतिदिन की दर से सर्वसमावेशी दैनिक भत्ता” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2) परिषद् के वे सदस्य जो परिषद् का स्थानीय कार्य करते हैं, अधिक से अधिक तीस रुपए प्रतिदिन तक वाहन/भाड़ा प्रभार के हकदार होंगे।”

[फा०सं० 4/2/78—प्रेस]

पी० के० जलाली, अवर सचिव

New Delhi, the 18th June, 1981

G.S.R. 629.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following amendments to the Press Council Rules, 1979, namely:—

1. (i) These rules may be called Press Council (Amendment) Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Press Council Rules, 1979,

(i) rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof;

(ii) in sub-rule (1) so re-numbered, for the words “a daily allowance at the rate of rupees seventy five per day” the words “an all-inclusive daily allowance at the rate of rupees ninety per day,” shall be substituted;

(iii) after sub-rule (1) the following shall be inserted, namely:—

“(2) Those members of the Council who attend to the work of Council locally, shall be entitled to conveyance/hire charges upto a maximum of rupees thirty per day.”

[F. No. 4/2/78-Press]

P. K. JALALI, Under-Secy.

पुति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1981

सं०का०नि० 630.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा पुति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के अधीन वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और शीर्षक:—(1) ये नियम, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखापाल भर्ती नियम, 1981 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिए गए हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं आदि:—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और इससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में दी गई हैं।

4. अयोग्यताएं:—कोई व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. रियायत देने की शक्ति:—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है।

6. उपवाद:—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेशों के आधार पर किये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	नया, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम-बली, 1972 के नियम 30 अन्तर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------------	----------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
अभिलेखापाल	एक*	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' के आधार पर इसमें अंतर हो सकता है	225-5-260-6-290-ए०रो०-6-308 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नया सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा तथा शैक्षिक पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति या स्थानान्तरण किया जाता है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है		
9	10	11	12	13	14		

लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	चयन ग्रेड तथा सामान्य ग्रेड के दफ्तरी जिनकी निम्नलिखित योग्यताएं हैं:—	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसका गठन निम्नांकित होगा:—	लागू नहीं होता
			(क) अनिवार्य : मिडिल पास (सामान्य ग्रेड) में दफ्तरी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा या (चयन ग्रेड) में दफ्तरी के रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा।	(1) निदेशक (परिवहन व मशीनरी)—अध्यक्ष (2) उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी—सदस्य (3) सहायक वित्तीय सलाहकार अथवा वित्त व लेखा अधिकारी—सदस्य	
			(ख) अपेक्षित कर्क के नयी कार्य अंग्रेजी तथा हिन्दी में करने की क्षमता।		

[सं० 11(1)/81-प्रशासन-III]

सोहन लाल मेदीरता, उप सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION**(Department of Rehabilitation)**

New Delhi, the 19th June 1981

G.S.R. 630.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Record Keeper in the Office of the Financial Adviser and the Chief Accounts Officer in Dandakaranya Development Authority under the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Record Keeper in the Office of the Financial Adviser and the Chief Accounts Officer, Dandakaranya Development Authority, Recruitment Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit,

qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 to the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Record Keeper	One Subject to variation dependent on work load	General Service 'C' Non-gazetted Ministerial	Central Rs. 225-5-260-6-290-EB-308.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation,	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment		
9	10	11	12	13	14		
Not applicable	Two years	By promotion	Daftries both Selection Grade and Ordinary grade having the following qualifications namely :— A. Essential : Middle pass with minimum	Group C Departmental Promotion Committee comprising of : 1. Director (Transport and Machinery)— Chairman.	Not applicable		

service of six years on regular basis as Daftary (or ordinary grade) or with minimum service of four years on regular basis as Daftary (Selection Grade).
 2. Deputy Financial Adviser and Chief Accounts Officer—Member.
 3. Assistant Financial Adviser or Pay and Accounts Officer—Member.
 B. Desirable:
 Capable of handling routine clerical jobs in English and Hindi.

[No. 11(i)/81—Admn. III]
 S. L. MEDIRATTA, Dy. Secy

वित्त मंत्रालय
 (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1981

सं. 135/81—केंद्रीय उत्पादशुल्क

सा. का. नि. 631.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 266/67-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खण्ड (1) की मद (यय) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ययव) पीरवाड़ी”

[फा. सं. 261/11क/4/81-सी एक्स 8]

एस. डी. खरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Revenue)

New Delhi, the 4th July, 1981

NO.—135/81—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 631.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 49, and rule 139, of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 266/67-Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely :—

In clause (i) of paragraph 2 of the said notification, after item (zz), the following item shall be inserted, namely :—

“(zza) Pirwadi.”

[F. No. 261/11A/4/81-CX.8]

S. D. KHARE, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1981

सा. का. नि. 632.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 4 अक्टूबर, 1980 के पृष्ठ 2137-40 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 150/80-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सा. का. नि. सं. 1020), तारीख 4 अक्टूबर, 1980 में,—

पृष्ठ 2138 पर —

(1) पंक्ति 31 में “48, 65” को स्थान पर “48” पढ़ें ;

(2) नीचे से तीसरी पंक्ति के सामने, पार्श्व में “बी-4” पढ़ें ;

पृष्ठ 2139 पर —

(3) पंक्ति 12 के सामने, पार्श्व में, “बी-1 पढ़ें ।

[अधि. सं. 134/81-के. उ. शु. / फा. सं. 214/1/78-सी एक्स-6]

डी. मेहता, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th July, 1981

G.S.R. 632.—In notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 150/80-Central Excise (G.S.R. No. 1020 dated the 4th October, 1980 published at pages 2140-43 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th October, 1980 :—

at page 2142—

(i) line 6, for “48; 65” read “48 ;”

(ii) against lines 17 and 18, read “B. 4” in the margin ;

(iii) against lines 29 and 30, read “B. 1” in the margin.

[Notification No. 134/81-C.E. F. No. 214/1/78-CX.6]

D MEHTA, Under Secy.